रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1971/आषाढ़ 16 1893

No. 367] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1971/ASADHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2539.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 429/A&NI/69, dated the 13th November, 1969, namely:—

The name and designation relating to the Electoral Registration Officer mentioned in the said notification shall be substituted as follows:—

"Shri N. Chandrasekhar, Additional District Magistrate, Port Blair."

This amendment shall be deemed to have taken effect from the 10th June, 1971.

[No. 429/A&NI/69.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2539.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 429/अ० नि०द्वी०/69 तारीख 13 नवम्बर, 1969 में आगे और निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के बारे में वर्णित नाम और पद निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

"श्री एन० चन्द्रशेखर,

अपर जिला मजिस्ट्रेट,

पोर्ट ब्लेयर ।"

यह संशोधन 10 जून, 1971 से लागू हुआ माना जायेगा ।

[सं० 429/अ० नि०द्वी०/69]

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971